आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–27 / 2023	
15.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री सुम्बर ओड़ेया एवं अन्य, प्रखण्ड–अड़की, जिला–खूँटी उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, खूँटी, उपस्थित। आज की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मौखिक तौर पर और आयोग को भेजे गये प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि शिकायतकर्त्ता और डीलर के बीच लिखित सुलहनामा हो गया है। जिसमें शिकायतकर्त्ता का भी हस्ताक्षर है। उसमें यह कहा गया है कि अगस्त तक बकाया अनाज शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध करा दिया जायेगा। आयोग ने इस जानकारी पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से यह जानना चाहा कि क्या सुलहनामे के आधार पर डीलर को मनमानी या अवैधानिक कार्य करने की छूट दी जा सकती है? जिला आपूर्ति पदाधिकरी ने भी यह माना की ये सुलहनामा वैधानिक नहीं है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से शिकायतकर्त्ता को मुआवजा सहित जो अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, वह अनाज उपलब्ध कराया जाय। इस टिप्पणी के साथ आयोग वाद को निष्पादित किया जाता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 19.6.23 **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 19/06/2023 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Rachana\Court order.docx3